

कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर।

पत्रांक-UID-No-2022/12265/MZR/MIRZAPUR/154/DD

दिनांक-अगस्त, 10, 2022

सेवा में,

मेसर्स, द रेडिएन्ट इण्टरनेशनल स्कूल,
दुर्गा जी रोड, चुनार
जनपद-मीरजापुर।

कृपया आपके पत्र संख्या-निल दिनांक-30.07.2022 के क्रम में मेरे द्वारा प्रश्नगत भवन में स्थापित जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/क्रियाशीलता का अग्निशमन अधिकारी मीरजापुर एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मीरजापुर द्वारा निरीक्षण कराया गया तो प्राप्त निरीक्षण आख्या दिनांक-30.07.2022 के अनुसार निम्न तथ्य पाये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-
भवन की संरचना

- 1-कुल भूखण्ड एरिया-3000.00 वर्ग मीटर
निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-1198.00 वर्ग मीटर
- 2-प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया-1198.00 वर्ग मीटर(प्रत्येक तलवार कवर्ड एरिया का विवरण)
अ-मात्र प्रथम तल कवर्ड एरिया-1198.00 वर्ग मीटर
- 3-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर
- 4-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर
- 5-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया-शून्य वर्ग मीटर
- 6-भवन की उचाई-08.00 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी-B(एजुकेशनल बिल्डिंग) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(शैक्षणिक भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप-प्रथम)

दॉचागत व्यवस्था:-

- 1-पहुँच मार्ग:-भवन के सामने 9.00 मीटर रोड मुख्य अग्निशमन अधिकारी मीरजापुर ने अपनी आख्या में अंकित किया है, जिस पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियों सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकती है।
- 2-सैटबैक:-

- अग्रभाग-15.00 मीटर
- पृष्ठभाग-6.00 मीटर
- पार्श्वभाग प्रथम-6.00 मीटर
- पार्श्वभाग द्वितीय-6.00 मीटर है।

भवन के सैटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 संशोधित-2011 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है।

- 3-निकास मार्ग:-भवन में-01 स्टेयर जिनकी चौड़ाई स्वीकृत मानचित्र के अनुसार 1.5 मीटर चौड़ाई है समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत होगा।

4-रिफ्यूज एरिया का विवरण:-प्रश्नगत भवन में रिफ्यूज एरिया एन0बी0सी0-2005 के अनुसार उपलब्ध पाये गये।

5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पायी गयी।

1-होजरील/डाउनकमर-उक्त भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

2-टेरिस/टेरिस पम्प:-उक्त भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 वांछित नहीं है।

3-भूमिगत टैंक:-उक्त भवन में भूमिगत टैंक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

4-पम्प:-उक्त भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

5-वेटराइजर:-उक्त भवन में वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण:-भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये जो आई0एस0आई0 मार्क है।

7-ऑटोमैटिक रिप्रकॉलर सिस्टम:-उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।


8-मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:-उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

9-ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:-उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

10-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

11-प्रेसराइजेशन प्रणाली:- उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

कमश:-2 पर



05/08
10/08

12-एग्जिट सार्डिनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट सार्डिनेज स्थापित किये गये है।

13-पी0ए0सिस्टम:-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर नवीनीकृत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
- 2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किये जायें।
- 3- किसी प्रकार अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
- 5- प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायी, तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
- 6- वर्ष में 01 बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अन्तर्गत निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के आभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(जेड0एच0 रिजदी) 10/07/22
उप निदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर,
जोन गोरखपुर।

प्रतिलिपि-

- 1- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मीरजापुर को उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक-30.07.2022 के क्रम में सम्बन्धित प्रतिष्ठान की पत्रावली खोलकर इसे सुरक्षित रखें।
- 2- अग्निशमन अधिकारी जनपद मीरजापुर को उनकी आख्या दिनांक-30.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली खोलकर उस पर सुरक्षित रखें तथा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके यथा स्थिति का आकलन करते रहेंगे। आकस्मिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार की अनियमितता मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथास्थिति से आशाहस्ताक्षरों को भी अवगत करायेगें। क्योंकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की क्षति है, जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नहीं है।

(जेड0एच0 रिजदी)
उप निदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर,
जोन गोरखपुर।